लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
112/2021 (GCMS 2021/490)	07.12.2021	22.12.2021

अनवान

फतह सिंह पिता मौड़ सिंह निवासी सेमलिया हाल झरनों की सराय, देबारी, उदयपुर

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र. सं. /112/2021 (सू.अ.) (22.12.2021)/1347 दिनांक 07.12.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 22.12.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 22.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

बावजूद सूचना अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ. /2021/405 दिनांक 21.12.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

अपीलार्थी श्री फतहसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत निवासी सेमलिया हाल झरनों की सराय, जैन उपासरे के पास देबारी, उदयपुर द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के तहत दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में प्रथम अपील श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत होने से उक्त

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील के सम्बन्ध में आप द्वारा टिप्पणी/कमेन्ट्स चाही गई है। प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालय के रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला के प्रकरण संख्या 408/2010 निर्णय दिनांक 09.02.2011 की मूल पत्रावली न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होकर राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश प्राप्त है। मूल पत्रावली के अभाव में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। अपीलार्थी को कार्यालय हाजा में उक्त पत्रावली की जानकारी हेतु उपस्थित होने पर पत्रावली अपीलेट न्यायालय में जेरकार होने के संबंध में अवगत करा दिया गया है। अतः रिपोर्ट/टिप्पणी श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने क्रमांक/सू.अ./2021/405 दिनांक 21.12.2021 से प्रेषित कमेंट्स का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा अपीलार्थी के लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने पर पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जेरकार होने के संबंध में अवगत करा दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर अब इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को लिखित रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के लिखित रूप से अवगत कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official